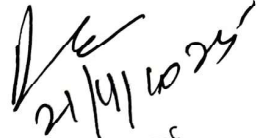


न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, धनबाद ।

दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-106/2013-14

—:आदेश:—

अभिलेख उपस्थापित । दायर किये गये वाद में आवेदक द्वारा लंबे समय से उपस्थिति प्राप्त नहीं है । जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक की वाद में कोई अभिरुची नहीं है ।
ऐसी परिस्थिति में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।


21/5/14
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
धनबाद ।